रा.पु.मु.ज. / 5–99 / 70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, धौलपुर.....थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2022.
   प्र. इ. रि. स. ....177/22......... दिनांक ....11/5/22.........
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . धारायें........7, ...
   (ब) अधिनियम ....आई.पी.सी.............................धारायें.............................
   (स) अधिनियम ....धारायें.............................
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....234.......समय...........5:20 P.M.............
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–गुरूवार / 03.03.2022 / 12.15 पी.एम.........................
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक–03.03.2022 समय.–10.30 ए.एम. ....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– मधुवन कॉलोनी धौलपुर।
   (अ) पुलिस थाना (चौकी) से दिशा व दूरी –पश्चिम –उत्तर, दूरी करीब 1 किमी...................
   (ब) पता – ....बीट सख्या ....जरायमदेहीसं.........................
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.............जिला.....................
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री नरेन्द्र सिंह**
   (ब) पिता / पति का नाम श्री प्रेम सिंह जाति राजपूत ....(स) जन्म तिथि / वर्ष 29 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.........भारतीय ....
   (य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी...........जारी होने की जगह...........................
   (र) व्यवसाय...... ।
   (ल) पता....ग्राम –बरेह मोरी थाना सदर जिला धौलपुर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
   1–श्रीमति नेहा शर्मा पुत्री श्री नरेन्द्र शर्मा जाति ब्रहाम्ण उम्र 27 साल निवासी हरीशंकर तिवारी सीताराम कॉलोनी सिटी जुबली हॉल धौलपुर हाल पटवारी, पटवार हल्का सादिकपुर तहसील धौलपुर जिला धौलपुर।
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.............................
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   .... / –रू0 रिश्वत राशि ....
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).......
    .... / –रू0 रिश्वत राशि ....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) ....नहीं.....................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)..................

सेवा में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी धौलपुर। विषयः– रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति ठाकुर उम्र 32 साल निवासी बरेहमोरी पुलिस थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर ने मय स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति व रिलीजडीड (हकत्याग) सम्बन्धी दस्तावेजों की छायाप्रति के मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश की जिसके सम्बन्ध में परिवादी नरेन्द्र सिंह से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरे दादाजी व दादीजी की मृत्यु के बाद दादाजी की जमीन मेरे पिताजी, ताऊ, चाचा व बुआओं के नाम हो गई थी। हमारी ग्राम पंचायत सादिकपुर में दिनांक 08.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत केम्प लगा था जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी आये थे जहां पर मेरी भुआ श्रीमती संतो उर्फ शान्ति व श्रीमती सत्यवती उर्फ मालती ने अपने हिस्से की जमीन अपने भाई तिलक सिंह, अमर सिंह, रघुवीर, प्रेमसिंह व लालसिंह एवं अपने भतीजे राजू के नाम हकत्याग हेतु समस्त लिखापढी कर दिये थे। बहुत दिनों के बाद भी मेरा काम नहीं होने पर मैने हमारे हल्का की पटवारी नेहा शर्मा

से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि दाखिला कराने के लिए खर्चा पानी लगता है। यह काम कराने के लिऐ तुम्हें पैसा देना पडेगा। मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं जिसके कारण कार्यवाही करवाने मैं आया हूं। मेरी उससे मोबाईल पर बात हुई हैं तो उसने मुझे मधुबन कोलोनी धौलपुर में स्थित अपने आवास पर बुलाया है। मेरी उससे कोई रंजिश व पुराना लेनदेन नहीं है। उक्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जावेगा।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त लिखित रिपोर्ट दिनांक 03.03.2022 को समय 10:30 ए.एम पर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति ठाकुर उम्र 32 साल निवासी बरेहमोरी पुलिस थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर ने मय स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति व रिलीजडीड (हकत्याग) सम्बन्धी दस्तावेजों की छायाप्रति के मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष पेश की जिसके सम्बन्ध में परिवादी नरेन्द्र सिंह से मजीद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरे दादाजी व दादीजी की मृत्यु के बाद दादाजी की जमीन मेरे पिताजी, ताऊ, चाचा व बुआओं के नाम हो गई थी। हमारी ग्राम पंचायत सादिकपुर में दिनांक 08.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत केम्प लगा था जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी आये थे जहां पर मेरी भुआ श्रीमती संतो उर्फ शान्ति व श्रीमती सत्यवती उर्फ मालती ने अपने हिस्से की जमीन अपने भाई तिलक सिंह, अमर सिंह, रघुवीर, प्रेमसिंह व लालसिंह एवं अपने भतीजे राजू के नाम हकत्याग हेतु समस्त लिखापढी कर दिये थे। बहुत दिनों के बाद भी मेरा काम नहीं होने पर मैने हमारे हल्का की पटवारी नेहा शर्मा से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि दाखिला कराने के लिए खर्चा पानी लगता है। यह काम कराने के लिऐ तुम्हें पैसा देना पडेगा। मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं जिसके कारण कार्यवाही करवाने मैं आया हूं। मेरी उससे मोबाईल पर बात हुई हैं तो उसने मुझे मधुबन कोलोनी धौलपुर में स्थित अपने आवास पर बुलाया है। मेरी उससे कोई रंजिश व पुराना लेनदेन नहीं है। उक्त लिखित रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाता है फिर भी विभागीय प्रकिया अनुसार रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया गया दौराने सत्यापन रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु विभागीय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को जरिये श्रीमती सुमन ठाकुर म.कानि. 67 कार्यवाहक मुख्य आरक्षक से कार्यालय आलमारी से निकलवा कर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को समझाकर आरोपिया से रिश्वत मांग के सम्बंध में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री योगेश सिंह कानि. 88 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी के आरोपी के पास जाने से पूर्व डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत सम्बंधी वार्ता होने के उपरान्त परिवादी के वापिस आने पर डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे। वाईस रिकार्डर से कोई छेड़छाड़ नही करे। बाद हिदायत परिवादी एवं श्री योगेश सिंह कानि. को परिवादी की मोटरसाईकिल से आरोपी से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के बताये अनुसार मधुबन कोलोनी धौलपुर के लिये रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी वाईस रिकार्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह व श्री योगेश सिंह कानि. उपस्थित कार्यालय आये। बाद रिश्वत मांग सत्यापन के सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री योगेश सिंह कानि. से प्राप्त किया गया। परिवादी ने बताया कि पटवारी नेहा शर्मा से मेरी बात हो गई है। हम रवाना होकर मधुबन कोलोनी धौलपुर में पटवारी के आवास के पास पहुंचे जहां पर साईड में ले जाकर श्री योगेश सिंह कानि. ने वाईस रिकॉर्डर को चालू कर बोलकर मुझे सुपुर्द कर दिया, मैं पटवारी के आवास पर पहुंचा जहां पर पटवारी नेहा शर्मा मुझे उपस्थित मिली जिसने मेरी भुआओं के द्वारा कपने भाईयों व भतीजे के नाम किये गये हकत्याग का दाखिला करने की एवज में 1,000/—रूपये रिश्वत की मांग की। मैने उक्त बातचीज को इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद मैं उसके पास से बाहर आकर पास में ही खडे श्री योगेश सिंह कानि. के पास पहुंचा जिन्होने वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया। इसके बाद मैने योगेश सिंह कानि. को सारी बात बताई। इसके बाद मै व श्री योगेश सिंह कानि. मेरी मोटरसाईकिल से रवाना होकर आपके पास कार्यालय में आ गए। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक

पुलिस ने प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्तालाप को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। तत्पश्चात् वाईस रिकार्डर को कार्यालय के विभागीय कम्प्यूटर में कनेक्ट कर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कम्प्यूटर के डेस्कटॉप पर सेव करवाया गया व कम्प्यूटर से टेबल स्पीकर कनेक्ट करवाकर डेस्कटॉप पर सेव रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी व गवाहान की उपस्थिति में टेबल स्पीकर की मदद से सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द रूपान्तरण तैयार किया गया तथा उक्त वार्ता की तीन डीबीडीयां क्रमश– मूल, मुलजिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर उन पर मार्क । अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मूल, व मुलजिम डीबीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर श्रीमती सुमन ठाकुर कार्यवाहक मुख्य आरक्षक मालखाना प्रभारी के सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया तथा आईओ प्रति डीवीडी को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर अनशील्ड फाईल पर रखा गया एवं परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह से आरोपिया पटवारी वर्तमान लोकेशन के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि अभी तो उसका पता नहीं है, अपने आवास पर है भी कि नहीं, वह फील्ड में जाने की भी बोल रही थी। इस पर परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को पटवारी की सूचना मिलने या रिश्वत राशि हेतु बुलाने पर तुरन्त मन उप अधीक्षक पुलिस को सूचित करने की व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई एवं परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह ने मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि पटवारी नेहा शर्मा ने मुझे अवगत कराया है कि वह मेरे काम को अभी तुरन्त करने की कह रही है व रूपये लेने से मना कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको कहीं से खबर लग गई है। वह अब मुझसे रूपये लेने से मना कर रही है। फिर भी परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रूख्सत किया गया। परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने पर स्वतन्त्र गवाहान को तलब कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा संदिग्ध आरोपी श्रीमती नेहा शर्मा पटवारी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी है जिससे अब तक संदिग्ध आरोपी को रंगे हाथ पकडा जाना मुमकिन नहीं हो सका। चूंकि मन उप अधीक्षक पुलिस को श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस–प्रशिक्षण, राजस्थान जयपुर के पत्रांक 1950–91 दिनांक 23.02.2022 एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर के पत्रांक 578 दिनांक 04.03.2021 की पालना में पुलिस निरीक्षक से उप अधीक्षक पुलिस के पद पर पदोन्त होने पर इण्डक्शन कोर्स (प्रशिक्षण कोर्स) हेतु राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर पहुंचना है। अतः उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजात व वजह सबूत को अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री महेश मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर को भिजवाये गये। तत्पश्चात एसीबी चौकी धौलपुर के उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेन्द्र सिंह इण्डक्शन कोर्स हेतु आर.पी.ए. जयपुर जाने के कारण उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सरकारी गाडी टवेरा मय कानि./चालक मनोज के एसीबी चौकी भरतपुर से रवाना होकर एसीबी चौकी धौलपुर उपस्थित हुये एवं श्री भोजराज सिंह कानि. नं. 257 ने परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह जाति ठाकुर उम्र 32 साल निवासी बरेहमोरी पुलिस थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर के द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र व उक्त प्रार्थना पत्र पर एसीबी चौकी धौलपुर के मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही से सम्बन्धित कागजात पेश किये जिनका श्री महेश मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा किया अवलोकन किया गया। अतः परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को तलब कर अग्रिम कार्यवाही की गई। परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह तलविदा उपस्थित कार्यालय आया जिससे श्री महेश मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मजीद दरियाप्त की तो परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह ने बताया कि मेरे दादाजी व दादीजी की मृत्यु के बाद दादाजी की जमीन मेरे पिताजी, ताऊ, चाचा व बुआओं के नाम हो गई थी। हमारी ग्राम पंचायत सादिकपुर में दिनांक 08.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत केम्प लगा था जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी आये थे जहां पर मेरी भुआ श्रीमती संतो उर्फ शान्ति व श्रीमती सत्यवती उर्फ मालती ने अपने हिस्से की जमीन अपने भाई तिलक सिंह, अमर सिंह, रघुवीर, प्रेमसिंह व लालसिंह एवं अपने भतीजे राजू के नाम हकत्याग

हेतु समस्त लिखापढी कर दिये थे। बहुत दिनों के बाद भी मेरा काम नहीं होने पर मैने हमारे हल्का की पटवारी नेहा शर्मा से सम्पर्क किया तो उन्होने बताया कि दाखिला कराने के लिए खर्चा पानी लगता है जिसके विरूद्ध कार्यवाही के लिये मैने एसीबी चौकी धौलपुर में दिनांक 03.03.2022 को उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी जिस पर एसीबी चौकी धौलपुर के डिप्टी साहब द्वारा मुझे वाईस रिकॉर्डर देकर सत्यापन करवाया था जिसमें नेहा शर्मा द्वारा मुझसे मेरे कार्य करने की एवज में 1,000/-रूपये रिश्वत की मांग की थी। लेकिन कुछ समय पश्चात उसका मेरे मोबाईल पर कॉल आया था और उसने कहा था कि तुम्हारा काम अभी कर दुंगी, मुझे पैसे नहीं चाहिऐं। इसके बाद उसने मेरे से सम्पर्क नहीं किया, नेहा शर्मा पटवारी को मेरे उपर शक हो गया है। वह मेरे से अब पैसे नहीं लेगी। परिवादी के उक्त कथनो से प्रतीत होता है कि नेहा शर्मा पटवारी, पटवार हल्का सादिकपुर तहसील धौलपुर जिला धौलपुर परिवादी से रिश्वत में पैसे नहीं लेगी, इस कारण ट्रेप कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है, फिर भी श्री महेश मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को हिदायत दी गई कि जब भी पटवारी नेहा शर्मा को कोई कॉल आये तो अवगत करावें। बाद हिदायत परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह को रूख्सत किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही से पाया गया है कि आरोपिता नेहा शर्मा पटवारी, पटवार हल्का सादिकपुर तहसील धौलपुर जिला धौलपुर द्वारा परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह जाति ठाकुर उम्र 32 साल निवासी बरेहमोरी पुलिस थाना सदर धौलपुर जिला धौलपुर से उसके दादाजी व दादीजी की मृत्यु के बाद दादाजी की जमीन का दाखिला का कार्य लम्बे समय तक पेंडिंग रखा रिश्वत की मांग की जिसका गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 03.03.2022 को 1,000/-रूपये रिश्वत मांग की गई। पटवारी नेहा शर्मा को परिवादी श्री नरेन्द्र सिंह पर शक होने के कारण रिश्वत राशि नहीं ली गई व परिवादी का कार्य कर दिया। इस प्रकार नेहा शर्मा पटवारी का उक्त कृत्य परिवादी से उसके वैद्य कार्य करने की एवज में वैद्य पारिश्रमिक के अलावा रकम की मांग करना जुर्म जैर दफा 7, पीसी (संशोधित) अधिनियम 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्रीमती नेहा शर्मा पटवारी, पटवार हल्का सादिकपुर तहसील धौलपुर जिला धौलपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर प्रेषित है।

(सुरेन्द्र सिंह)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
धौलपुर।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती नेहा शर्मा, पटवारी, पटवार हल्का सादिकपुर तहसील धौलपुर जिला धौलपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 177/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11/5/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1571-75 दिनांक 11.5.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, धौलपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रटाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धौलपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।